न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1. निगरानी संख्या– 67/2009–10

श्री अरूण कुमार आदि –बनाम– श्री जहीरूद्दीन आदि

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री अरूण सक्सेना।

2. निगरानी संख्या– 87/2009–10

श्री अजीत कुमार –बनाम– श्री अनिरूद्व कुमार गोयल आदि

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)।

बावत
मौजा मौहम्मदपुर कुन्हारी, परगना ज्वालापुर,
तहसील व जिला हरिद्वार।

निर्णय

ये निगरानियाँ निगरानीकर्तागण ने विद्वान अपर आयुक्त, गढवाल मण्डल द्वारा अपील संख्या–22 वर्ष 2002–03 ब्रजभूषण लाल बनाम अजीत कुमार आदि में पारित एक ही आदेश दिनांक 18–05–2010 के विरूद्व पृथक–पृथक योजित की हैं। निगरानी संख्या–67/2009–10 अरूण कुमार आदि बनाम जहीरूद्दीन आदि विद्वान अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–05–2010 से प्रतिउत्तरदातागण द्वारा प्रथम अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23–04–2010 को स्वीकार किये जाने के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जबकि निगरानी संख्या–87/09–10 अजीत कुमार बनाम अनिरूद्व कुमार विद्वान अपर आयुक्त द्वारा इसी आदेश से प्रार्थना पत्र दिनांक 07–03–2008 को स्वीकार करने के विरूद्व प्रस्तुत की गई है क्योंकि दोनों प्रार्थना पत्र एक ही आक्षेपित आदेश दिनांक 18–05–2010 से स्वीकार किये गये हैं, अतः दोनों निगरानियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत श्री अजीत कुमार ने प्रतिवादी श्री ब्रजभूषण के विरूद्व सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के समक्ष अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, हरिद्वार ने अपने निर्णयादेश दिनांक 09–12–2002 से वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादी को खसरा नम्बर97/1 रकबई 1.005 है0, खसरा नम्बर 97/2 रकबई 0.102 है0 का प्रतिवादी के साथ–साथ सह–संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया एवं शेष खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में वादी का वाद निरस्त किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, हरिद्वार के इस निर्णयादेश दिनांक

09–12–2002 के विरूद्व श्री बृज भूषण लाल ने विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील योजित की। अपीलीय कार्यवाही के दौरान ही अपीलार्थी श्री बृजभूषण लाल ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04–12–2003 विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति जिस ग्राम में स्थित है उस ग्राम का धारा–4 उपधारा–(2) जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी हेतु अधिसूचना हो चुकी है अतः विचाराधीन अपील को उपशमित किया जाय। विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 08–10–2004 से वादग्रस्त सम्पत्ति के चकबन्दी प्रकिया के अधीन आने के कारण अपील उपशमित की। पुनः अपीलार्थी श्री बृजभूषण लाल के पुत्र श्री अजीत कुमार ने विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01–11–2007 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति जिस ग्राम में स्थित है उसे चकबन्दी संचालक ने अपने आदेश दिनांक 21 मार्च, 2007 से चकबन्दी प्रकिया से पृथक कर दिया है अतः पूर्व पारित उपशमन आदेश दिनांक 08–01–2004 निरस्त कर अपील की कार्यवाही पुनः आरम्भ कर दी जाय। विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन अपील में अपीलार्थी बृजभूषण लाल के पुत्रगण अरूण कुमार व अनिरूद्व कुमार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 11 तथा धारा–151 सिविल प्रकिया संहिता का दिनांक 07–03–2008 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रतिवादी श्री अजीत कुमार की ओर से जो प्रार्थना पत्र दिनांक 01–11–2007 प्रस्तुत किया गया है उसमें जानबूझकर यह तथ्य छिपाया है कि अपीलार्थी श्री बृजभूषण लाल की मृत्यु दिनांक 23–07–2005 को हो चुकी है जबकि बृजभूषण लाल ने अपने जीवन काल में ही दिनांक 13–02–2004 को प्रार्थीगण के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा कर दिया था। प्रार्थीगण श्री अरूण कुमार एवं अनिरूद्व कुमार ने अपील में प्राप्त वसीयत के आधार पर स्वंय को विधिक प्रतिनिधि पक्षकार बनाये जाने एवं अपील में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया। विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन इस अपील में दिनांक 23–04–2010 को श्री फकीर चन्द, अयूब हसन आदि ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10(2) व धारा–151 व्यवहार प्रकिया संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित सम्पत्ति में से अजीत कुमार ने अपने भाग का बैनामा दिनांक 15–04–2010 को प्रार्थीगण के हक में सम्पादित कर दिया है और मौके पर कब्जा भी दे दिया है और प्रार्थीगण के पक्ष में अजीत कुमार द्वारा बैनामा सम्पादित होने के पश्चात विवादित भूमि में वे सहखातेदार हो गये हैं, अतः उन्हें विचाराधीन अपील में बतौर प्रतिपक्षी पक्षकार समाहित किया जाय। उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 18–05–2010 से प्रार्थना पत्र दिनांक 01–11–2007, 07–03–2008 एवं 23–04–2010 स्वीकार किये गये एवं अपील उपशमन सम्बन्धी आदेश दिनांक 08–01–2004 निरस्त कर अपील संशोधित कर सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि नियत की गई। विद्वान अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18–05–2010 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागणों ने उपरोक्त पृथक–पृथक निगरानियाँ इस न्यायालय में योजित की हैं।

मैंने उभपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का अवलोकन एवं परिशीलन किया।

जिस ग्राम में विवादित भूमि स्थित है उस गाँव को बिना चकबन्दी कराये चकबन्दी प्रकिया से बाहर किये जाने की स्थिति में उपशमित हो चुकी अपील को उपशमन समाप्त कर पुनः सुनवाई प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी आदेश के सम्बन्ध में उभयपक्षों को कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलार्थी बृजभूषण लाल की मृत्यु के उपरान्त लगभग दो वर्ष आठ माह बाद जो प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 07–03–2008 को प्रस्तुत किया गया है उस पर वादी/निगरानीकर्ता को आपत्ति है कि प्रार्थना पत्र मृत्यु की तिथि से 150 दिन अन्दर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था, लेकिन प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र बहुत विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने बिना कारण बताये स्वीकार किया है। इस कम में यह उल्लेखनीय है कि स्वंय वादी/निगरानीकर्ता ने, जब दिनांक 01–11–2007 को उपशमन समाप्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, भी अपीलार्थी बृजभूषण लाल की मृत्यु के तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं किया। यह असम्भव है कि उसे अपने पिता की मृत्यु का तत्समय संज्ञान नहीं था। दूसरी ओर प्रतिवादीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा अपील के उपशमन का समापन का संज्ञान अफवाहन प्राप्त होने का कथन किया गया है एवं इस सम्बन्ध में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है। घटनाकम के अनुसार प्रतिवादीगण/निगरानीकर्तागण का उक्त कथन अविश्वसनीय नहीं प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सशपथ पत्र विलम्ब का आधार प्रस्तुत किया गया है जो सद्भावी एवं पर्याप्त प्रतीत होता है। विपरीत इसके वादी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम अवसर पर ही अपने पिता की मृत्यु का तथ्य उद्घाटित न किये जाने से उसका एतद्सम्बन्धी आचरण निष्ठावान नहीं कहा जा सकता है। तद्नुसार प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसम्मत था। विद्वान अपर आयुक्त ने इस सम्बन्ध में कोई विवेचना किये बिना एक अनाधार/अकारण (unreasoned) एवं non speaking आदेश पारित किया है जबकि प्रत्येक न्यायिक आदेश के पारण से पूर्व उसके आधार स्पष्ट किये जाने चाहिए एवं ऐसा आदेश सुव्यक्त (speaking) होना चाहिए।

जहाँ तक अजीत कुमार द्वारा विकय की गई भूमि के केतागणों द्वारा प्रस्तुत पक्षकार बनाये जाने विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 23–04–2010 को स्वीकार किये जाने विषयक आदेश के विरूद्व प्रस्तुत प्रतिवादीगण/निगरानीकर्तागण की आपत्ति का प्रश्न है कथित विकय एक वास्तविकता है भले ही उसकी वैधानिकता संदिग्ध हो। ऐसे विकय के निष्पादित हो जाने के दृष्टिगत केतागण को पक्षकार बनने हेतु आवेदन किए जाने पर उन्हें पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करना न्यायसंगत है। सम्बन्धित न्यायालय कथित विकय की विधिमान्यता के सम्बन्ध में गुणदोष के आधार पर विनिश्चय करने के लिए स्वतन्त्र है। इस

सम्बन्ध में भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई विवेचना अंकित नहीं की है और न ही कोई आधार दिया है जबकि उससे यह अपेक्षित था। परन्तु सम्बन्धित को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में था। अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है।

विद्वान अपर आयुक्त ने यद्यपि दोनों प्रार्थना पत्रों दिनांक 07–03–2008 एवं 23–04–2010 को स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि अन्ततः परिणाम यही होना था, लेकिन उनको चाहिए था कि वे इन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने के लिए एक सुविचारित एवं निष्कर्षयुक्त आदेश पारित करते।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आलोक में दोनों निगरानियाँ अस्वीकृत की जाती हैं। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस लौटाई जायं। पक्षकार अवर अपीलीय न्यायालय में दिनांक **25–06–2014** को उपस्थित हों। अवर अपीलीय न्यायालय वाद को गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित करें।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **04–06–2014** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।